न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 77/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/177

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
राहुल सिंह पुत्र ओंकार सिंह जाति राजपुरोहित, निवासी बी 101 वीर दुर्गादास नगर पाली तहसील पाली जिला पाली		1. सरपंच/ग्राम सेवक जरिये ग्राम पंचायत भादरलाउ पंचायत समिति रानी तहसील रानी जिला पाली 2. पुष्पादेवी पुत्री ओगडराम जाति चौधरी निवासी सेपटावा तहसील रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 25/08/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 56/2007–08 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 के विरूद्ध पेश की है। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस निगरानी मीमों में वर्णित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी की जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख से खरीदसुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में यह उभयपक्ष की स्वीकृत स्थित है कि उक्त भूमि का पूर्व में अमिन के मालिकाना हक की थी तत्पश्चात् अमिन द्वारा अप्रार्थी व तीजोदेवी को बेचाण किया गया। जिससे भी यह साबित है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। आबादी भूमि का केवल एक बार ही पट्टा जारी हो सकता है, दुसरी बार भूमि का हस्तान्तरण पंजीबद्ध विक्रय विलेख या अन्य दस्तावेजों के अनुरूप ही हो सकता है। प्रश्नगत पट्टे हेतु आवेदन ओगडराम द्वारा दिया जाता है और पट्टा तीजो देवी के पक्ष में जारी किया जाता है। प्रश्नगत भूमि का नक्शा भौतिक रूप से स्थिति को देखकर जारी नहीं किया गया हैं। जैर निगरानी पट्टे हेतु न तो अप्रार्थी की ओर से आवेदन पेश हुआ, न ही मौका निरीक्षण हुआ, न ही अस्थायी निर्णय लिया गया, न ही नोटिस जारी किया गया। सभी आदेशिका आधी अधूरी लिखी हुई है एवं केवल एक जगह सरपंच के हस्ताक्षर है शेष पर केवल सरपंच की मोहर लगी हुई हैं। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये जैर निगरानी पट्टा जारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया है। इसलिये जैर निगरानी याचिका स्वीकार फरमावें हुये विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि जैर आराजी को अप्रार्थी के पिता ने अमीन खां से दिनांक 06.11.2004 को 75,000/– रूपये में क्रय किया और उक्त भूमि पर कब्जा प्राप्त कर नियमानुसार ग्राम पंचायत से पंचायतीराज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया। तत्पश्चात् उक्त पट्टे को उप–पंजीयन अधिकारी से पंजीबद्ध करवाया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत से स्वीकृति लेकर जैर आराजी पर निर्माण कार्य शुरू करवाया केवल छत बाकी रही थी इस दरम्यान् प्रार्थी ने मौके पर आकर तोड फोड कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। जैर निगरानी आराजी पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा नहीं रहा तथा सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की कमिश्नर रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत के पत्र से यह स्पष्ट है कि मौके पर अप्रार्थी का ही कब्जा है और मकान निर्मित है। इससे पूर्व प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के आदेश क्रमांक 168 दिनांक 30.09.2021 की निगरानी पेश की थी, जो कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.12.2022 द्वारा सारहीन होने से खारिज की गयी थी। जैर निगरानी पट्टे हेतु अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष नियमानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्णरूपेण पालना करते हुये विधिसम्मत तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अपने कथनों के सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) RRT 967 Manohar Lal vs District Collector, Barmer & Ors. पेश कर जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 56/2007–08 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी भूमि का पूर्व में अमिन खां के नाम का पट्टा जारी हो रखा था तत्पश्चात् अप्रार्थी ने पुनः उसी भूमि का जैर निगरानी पट्टा अपने पक्ष में जारी करवा दिया, जबकि पंचायत नियमों के तहत पट्टा एक ही बार जारी किया जाता हैं। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इस उज्र का विरोध करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थी ने अमिन खां से जैर आराजी खरीद की थी और पंचायत नियमों के तहत विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया। इस सम्बन्ध में पत्रावली पर उपलब्ध जैर निगरानी पट्टे की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि पूर्व दिशा में प्लॉट नम्बर 21 अमीन पुत्र इब्राहीन नागौरी, पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या 19 फकरूद्दीन बोहरा, उत्तर दिशा में दरवाजा व सामने गली एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता व दरवाजा अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत द्वारा एक अन्य पट्टा अमीन खा पुत्र इब्राहीमजी नागौरी के पक्ष में मिसल संख्या 45/29.08.1972, संकल्प संख्या 5/11.10.1972 की पालना में पट्टा संख्या 39 दिनांक 25.07.1973 को जारी हो रखा है, जिसके पडौस पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या 22, पश्चिम दिशा में प्लॉट संख्या 20 स्वयं का, उत्तर दिशा में स्वयं की पडत जमीन, दक्षिण दिशा में आम रास्ता अंकित है। अब क्या जैर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

निगरानी पट्टा अमीन खां को जारी पट्टे की भूमि पर ही जारी किया गया है अथवा अन्य किसी जगह पर तो इस सम्बन्ध में अमीन पुत्र इब्राहीम एवं ओगडराम पुत्र मूलाराम के मध्य निष्पादित आम मुख्तीयारनामा दिनांक 27.12.2004 का विवेचन करना उचित प्रतीत होता है, जिसके अनुसार प्लॉट संख्या 21 व 22 के हक अधिकार प्रदान किये एवं अमीन इब्राहीम एवं पुष्पा तथा तीजों के मध्य निष्पादित बेचाण इकरार नामा पट्टासुदा प्लॉट दिनांक 27.12.2004 के द्वारा मिसल संख्या 45/29.8.72 एवं मिसल संख्या 1/15.05.1974 की पालना प्लॉट संख्या 21 व 22 की पट्टासुदा भूमि खरीदकर्ता के पक्ष में क्रय की गई। उपरोक्त तथ्यों के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर है कि जैर निगरानी पट्टे की आराजी का ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में अमीन खां के पक्ष में जारी हो रखा हैं और अधिवक्ता अप्रार्थी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि उक्त खरीदसुदा भूखण्ड ग्राम पंचायत से उन्होनें नियमानुसार पुनः पट्टा जारी करवाया, जब यह कथन स्वयं अधिवक्ता अप्रार्थी का स्वीकृत सुदा है। अब ऐसी स्थिति में क्या पश्चातवर्ती पट्टे को सही माना जा सकता है अथवा नहीं ? यदि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय पूरी जानकारी न होने के कारण गलती से उसी भूमि का दुबारा पट्टा जारी किया है, तो ग्राम पंचायत के आदेश को वैध मानकर हितग्राही का संरक्षण न्यायालय करता है ताकि सामाजिक और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। न्यायालयों में यह सिद्धान्त प्रचलित है कि सरकारी आदेशों के आधार पर हुए निवेश और सुधारों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय अपने रिकॉर्ड और जानकारी के आधार पर कार्रवाई की और जैर निगरानी पट्टा जारी किया।

इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय रामचरण वर्मा बनाम राजस्थान राज्य ग्राम पंचायत में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे में किसी त्रुटि का पता चलने पर भी, जब तक आदेश निरस्त न किया जाए, पट्टाधारक का सरंक्षण किया जाएगा। भूमि पट्टे के सम्बन्ध में निर्णयों में यह सिद्धान्त लागू होते है कि लोकहित और पट्टाधारक की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाए। पट्टाधारक ने ग्राम पंचायत के आदेश पर भरोसा किया और भूमि पर निवेश किया, इस भरोसे को कानून सुरक्षा देता है। इसे 'लेगिटिमेट एक्सपेक्टेशन' भरोसे का सिद्धान्त कहा जाता है। साथ ही जैर निगरानी पट्टे का पंजीकरण एक सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है, जो वैधता की पुष्टि करता है और यदि पूर्व पट्टे का उपयोग समाप्त हो गया है, तो नया पट्टा वैध होगा। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त AIR 1967 SC 931 कृष्ण वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भूमि से सम्बन्धित सरकारी आदेशों पर भरोसा करने वाले व्यक्ति को न्यायालय सुरक्षा प्रदान करता है जब तक आदेश को कानूनन निरस्त न किया गया हो। इसी प्रकार AIR 1967 SC 1715 हरियाणा राज्य बनाम करण सिंह में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट कि सरकार द्वारा भूमि के पट्टे जारी करने में त्रुटि होने पर भी सामाजिक और आर्थिक स्थिरता के कारण पट्टाधारक के हित की रक्षा की जानी चाहिए। यदि ग्राम पंचायत को पूर्व पट्टे का पता नहीं था, तो इस गलती को प्रशासनिक त्रुटि माना जाएगा, न कि पट्टाधारक का अवैध कब्जा। अगर पहले वाला पट्टा लम्बे समय तक उपयोग नहीं हुआ, या उस

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पर निर्माण नहीं हुआ तो उसे अप्रभावी या त्याज्य (abandoned) माना जा सकता है, जो यह दर्शाता है कि वर्तमान पट्टा प्रभावी रूप से लागू है।

अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टा पंजीबद्ध है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2015(2) RRT 967 Manohar Lal vs District Collector, Barmer & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–विक्रय पत्र का निष्पादन–6 वर्ष तक आवंटन को चुनौती नहीं देने के लिये स्पष्टीकरण नहीं–19.1.1999 को भूमि विक्रय की–निगरानी क्षेत्राधिकारिता के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपास्त नहीं किया जा सकता–सिविल वाद उचित उपचार था–तथ्य के प्रश्न अन्तर्ग्रस्त, निर्णीत, स्पेशल अपील खारिज की। विपक्षी अधिवक्ता ने उक्त कथन का विरोध करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टे को खारिज करने का अधिकार केवल मात्र न्यायालय हाजा को ही फिर चाहे वो पट्टा पंजीबद्ध ही क्यों न हो। धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा उठाये गये बिन्दुओं की पुष्ठि हेतु दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाते है कि जैर निगरानी पट्टा उप पंजीयन अधिकारी रानी द्वारा दिनांक 22.07.2021 को पंजीबद्ध है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी प्रस्ताव की पालना में जारी पट्टा, जो कि पंजीबद्ध हो रखा है तो क्या न्यायालय हाजा द्वारा उस प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है ? वर्तमान में जैर निगरानी पट्टे को पंजीबद्ध करवाया गया है तथा भूमि दस्तावेज का पंजीकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के तहत वैध दस्तावेजी प्रमाण माना जाता है। वर्तमान में पट्टाधारक के पास भूमि का वास्तविक और निर्बाध कब्जा है। भारतीय कानून में कब्जा एक महत्वपूर्ण तत्व है तथा Possession is 9/10 the of law की कहावत भी न्यायालयों द्वारा मानी जाती है। भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत, यदि भूमि के पट्टे का पंजीकरण किया गया है तो वह दस्तावेज सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। पंजीकृत दस्तावेज को विधि द्वारा मान्यता प्राप्त सबूत (conclusive evidence) माना जाता है और इसे अदालत में प्राथमिक प्रमाण (primary evidence) के रूप में स्वीकार किया जाता है। पंजीकृत पट्टे को रद्द या खारिज करने के लिए स्पष्ट, ठोस और मजबूत कारण होना आवश्यक हैं केवल यह दावा कि पूर्व में एक पट्टा जारी हो चुका है, पंजीकृत पंट्टे को स्वतः खारिज नहीं करता। विभिन्न न्यायालयों का यह मानना है कि पंजीकृत दस्तावेज के विरूद्ध दावा करने वाला पक्ष अपनी दलीलें स्पष्ट और प्रमाणित करे, अन्यथा पंजीकृत पट्टे को स्थिर माना जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 90 के अनुसार, जो पंजीकृत दस्तावेज है, उसे वैध और सच्चा माना जाता है जब तक इसका उलट प्रमाण प्रस्तुत न किया जाए। इस तथ्य का अर्थ यह है कि पट्टाधारक को साबित करने की जरूरत नहीं कि पट्टा वैध है,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बल्कि इसे चुनौती देने वाले को साबित करना होगा कि पट्टा अवैध या अनुचित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने AIR 1973 SC 943 Union of India vs Ibrahim Uddin में स्पष्ट किया कि पंजीकृत दस्तावेज की वैधता को चुनौती देना कठिन होता है और इसे बिना मजबूत कारणों के खारिज नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार AIR 1961 SC 1998 Shyam Sunder vs Ram Kumar में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि पंजीकृत पट्टे की सुरक्षा और उसके स्थायित्व को महत्व दिया गया है। पंजीकृत पट्टा एक वैध, प्रभावशाली और कानूनन मान्यता प्राप्त दस्तावेज है। माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अक्सर ऐसे मामलों में व्यावहारिक और न्यायसंगत दृष्टिकोण अपनाते हैं, जो पट्टाधारक के हित में होता है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है। अप्रार्थी ने नियम 145 के तहत ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, उस पर प्रस्तावित भूमि के पडौस का स्पष्ट अंकन किया, जो क्रय के लिए प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिए पर्याप्त है। जैर निगरानी मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 04.01.2008 के द्वारा अप्रार्थी द्वारा आवेदन शुल्क, मौका निरीक्षण शुल्क एवं नक्शा शुल्क 60/– रूपये जमा करवाये जाने पर नियम 146(1) के तहत दर्ज किया गया। तत्पश्चात् आदेशिका दिनांक 20.01.2008 के द्वारा सचिव को प्रस्तावित भूमि का नक्शा बनाने हेतु आदेशित किया गया। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत ने नक्शा तैयार किया गया जिस पर नक्शा बनाने वाले एवं सायल के हस्ताक्षर भी है। प्रकरण में मौका निरीक्षण हेतु पंचों को नामित किया गया, जिन्होनें नियम 146(3) में वर्णित "क से ड" के बिन्दुओं पर रिपोर्ट की, जो कि वर्णित प्रावधानों के अनुरूप प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो विधिसम्मत है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उसे सहजदृश्य स्थान पर चस्पा किया गया और आपत्तियां आंमत्रित की गयी परन्तु निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड के अवलोकन से यह पाते है कि प्रश्नगत आराजी पर अप्रार्थी के कब्जे सत्यापन हेतु दो स्वतंत्र गवाहों के बयान नहीं लिया गया हालांकि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के दौरान कुछ तकनीकी त्रुटियां रहीं है परन्तु माननीय न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि केवलमात्र तकनीकी त्रुटि के आधार पर पट्टे को खारिज नहीं किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त State of Rajasthan vs Ram singh, 1978 में यह सिद्धान्त प्रतिपाद्वित किया कि जब पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है और प्रक्रिया पूरी होती है, तो केवल कुछ तकनीकी त्रुटिं जैसे दस्तावेज पर हस्ताक्षर न होना, पट्टे की वैधता प्रभावित नहीं करता। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी मामूली त्रुटि को सुधार किया जा सकता है, और पट्टा रद्द करना उचित नहीं होगा। इसी तरह अन्य न्यायिक दृष्टान्त AIR 1966 SC 1060 K.C.Jmes vs State of Kerala के अनुसार अगर भूमि सम्बन्धी दस्तावेज सही ढंग से जारी हो गए है, और कोई

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

धोखाधडी या गडबडी नहीं हुई है तो केवल प्रक्रिया सम्बन्धी तकनीकी दोष के आधार पर दस्तावेज को रद्द नहीं किया जा सकता। यह न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर भी लागू होता है कि नक्शे पर हस्ताक्षर की कमी को सम्पत्ति के स्वामित्व पर प्रभावी नहीं माना जाएगा। इसी तरह AIR 1979 SC 1532 Raj Kumar Sharma vs Union of India में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि भूमि के सम्बन्ध में प्रशासनिक निर्णयों में यदि प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी हो और कोई धोखाधडी सिद्ध न हो, तो निर्णय को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। तकनीकी त्रुटि को सुधार की गुंजाइश मानी गई है, रद्द करने का कारण नहीं तथा इसी तरह माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त Ram Narain vs State of Rajasthan, 2013 के अनुसार पट्टा जारी करने की प्रक्रिया में अगर केवल तकनीकी कमियां हैं, तो पट्टा यथावत माना जाएगा। हस्तगत प्रकरण की वस्तुस्थिति पर उपरोक्त समस्त न्यायिक दृष्टान्त पूर्णतया चस्पा होते है। साथ ही जैर निगरानी पट्टा जारी करने के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्तावों का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन होना भी प्रश्नगत पट्टे को यथावत् रखने का मजबूत आधार प्रदान करता है। जैर निगरानी पट्टा न केवल कानूनी प्रक्रिया के तहत जारी हुआ बल्कि उसका वास्तविक उपयोग, पंजीकरण, कब्जा होना सभी इसे वैध बनाते हैं। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत भादरलाउ द्वारा मिसल संख्या 56/2007-08 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 27 दिनांक 21.06.2008 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 25/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली